<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-22, कानपुर नगर</u>

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०-2294/2026

CNR No. UPKN01 006636 2026

सैय्यद मोहम्मद अनवर आयु 50 वर्ष पुत्र सैय्यद अमीन, निवासीः भवन संख्या-18 पोखरपुरवा हरजेन्दर नगर, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०-91/2025,
धारा-409 भा०दं०सं०,
थाना-कर्नलगंज, कानपुर नगर।

<u>31.07.2026-</u>

1. प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, आवेदक/अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद अनवर की तरफ से मु०अ०सं०-91/2025, धारा-409 भा०दं०सं०, थाना-कर्नलगंज, कानपुर नगर के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र अभियुक्त की ओर से स्वयं प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र, किसी भी सक्षम न्यायालय, अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थनापत्र, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर को इस आशय का दिया गया कि प्रार्थी सुभाष दीक्षित निवासी -117/P1/211 शिवपुरी, काकादेव कानपुर नगर (उ०प्र०) मो० नं० 98397XXXXX, स्विफ्ट मेल कम्यूनिकेशन लिमिटेड, मुख्य कार्यालय स्थित-4 ई, सैन्चुरी प्लाजा, 560, माउन्ट रोड, चेन्नई-600018 में, मैनेजर के पद पर कार्यरत है तथा कम्पनी द्वारा उ०प्र० में कम्पनी की विधिक कार्यवाहियों हेतु अधिकृत प्रतिनिधि है। कम्पनी (स्विफ्ट मेल कम्यूनिकेशन लिमिटेड, मुख्य कार्यालय स्थित 4 ई, सेन्चुरी प्लाजा, 560 माउन्ट रोड, चेन्नई 600018) द्वारा विपक्षी एयरो स्विफ्ट कम्यूनिकेशन लिमिटेड, स्थितः 268 एल०आई०जी०, के०डी०ए०, जाजमऊ, कानपुर (उ०प्र०) 208010 के साथ, उनके डायरेक्टर मो० शाहिद एवं सैय्यद मोहम्मद अनवर के साथ एक ज्वाइन्ट वेन्चर करार, कम्पनी की ब्राड-बैन्ड सेवाओं का विस्तार करने हेतु लिखित शर्तों पर निष्पादित किया गया था तथा ज्वाइन्ट वेंचर करार की शर्तों के अनुसार कम्पनी के बिजनेस का विस्तार करने हेतु, कम्पनी द्वारा विपक्षी को माई कार, नेक्सा प्रा०लि० से दो मारुति सुजकी कम्पनी की S-CROSS SMART HYBRID ZETA कार एचडीएफसी बैंक से फाईनेन्स कराकर आरटीओ कार्यालय, कानपुर नगर में क्रमशः UP 78 FK 1617 व UP 78 FJ 0413 पर पंजीकृत कराकर, विपक्षी की इस्तेमाल हेतु दी गई थी, जिसकी समस्त ई.एम.आई. किस्तों का भुगतान प्रार्थी की कम्पनी द्वारा किया गया था। विपक्षीगण ज्वाइन्ट वेन्चर करार की शर्तों के अनुसार वांछित व्यापार देने में असफल रहे तथा बिना आर्बिट्रेशन क्लाज का प्रयोग किये, ज्वाइन्ट वेन्चर करार दिनांकित 14.08.2018 को रद्द कर दिया तथा तीन वर्षों उपरान्त अपने अधिवक्ता श्री संदीप मिश्रा एडवोकेट के माध्यम से प्रेषित नोटिस दिनांकित 04.09.2022 के माध्यम से 89,59,563/-रुपये की अविधिक मांग की गई। उक्त विधिक नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रार्थी की कम्पनी द्वारा अपने अधिवक्ता श्री जे.ए.एस सतीश कुमार एडवोकेट के माध्यम से, विधिक प्रतिउत्तर नोटिस प्रेषित करते हुए, उक्त कारों क्रमशः UP78 FK 1617 व UP 78 FJ 0413 का कब्जा वापस माँगे जाने पर, विपक्षी द्वारा कब्जा वापस करने से इन्कार कर दिया तथा विधि विरूद्ध रूप से माननीय न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) कानपुर नगर के न्यायालय में, एक सिविल वाद संख्या 520 सन 2023 दाखिल किया गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2025 को निरस्त कर दिया गया। उक्त

कारें, प्रार्थी की कंपनी के नाम से पंजीकृत हैं तथा विपक्षी कम्पनी के उक्त डायरेक्टरों के अविधिक व गैर कानूनी कब्जे में है, जबकि उक्त कारें प्रार्थी की कम्पनी के नाम से फाईनेन्स हैं तथा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी की कम्पनी के नाम से पंजीकृत हैं एवं विपक्षीगणों द्वारा ज्वाइन्ट वेन्चर करार निरस्त किये जाने के उपरान्त, उक्त कारों पर विपक्षीगणों का कब्जा कतई अविधिक है। उक्त कारों के किसी भी अविधिक अथवा गैरकानूनी प्रयोग हेतु प्रार्थी की कम्पनी दायित्वाधीन नहीं है। पूर्व में प्रार्थी की कम्पनी द्वारा, प्रार्थी के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु, थाना-कर्नलगंज में दिये गए प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा यह कहते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया था कि सिविल वाद विचाराधीन है, जबकि विपक्षीगणों का कोई लेनदेन बकाया होने की दशा में भी प्रार्थी कम्पनी के नाम से पंजीकृत कारों का कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त सिविल वाद सं० 520 सन 2023 भी दिनाँक 04.02.2025 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष, थाना चुन्नीगंज, कानपुर नगर को वास्ते प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उक्त कारों का अविलम्ब कब्जा प्रार्थी की कम्पनी को दिलाया जावे तथा विपक्षीगणों के विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के अपराध हेतु यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु दिया गया था, परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण श्रीमान जी से प्रार्थना है कि सम्बन्धित थाने को प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि शपथकर्ता को उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है, जिस कारण शपथपत्र में वर्णित समस्त तथ्यों को भलीभांति अवगत है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो तथ्य अंकित कराये गये हैं, वे पूर्णतया आधारहीन, झूठे, मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये हैं, जिनका शपथकर्ता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी मुकदमा द्वारा धारा-406, 420 भा०दं०सं० के अंतर्गत पंजीकृत करायी गयी थी, किंतु थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर की पुलिस द्वारा दौरान विवेचना धारा-420, 406 भा०दं०सं० का लोप करते हुए, आरोपपत्र अंतर्गत धारा-409 भा०दं०सं० शपथकर्ता के विरूद्ध माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया गया है, जिस पर प्रथम दृष्टया माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक-23.01.2026 को प्रसंज्ञान लेते हुए, सम्मन जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया था, तत्पश्चात शपथकर्ता द्वारा माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र को निरस्त कराये जाने हेतु, याचिका अंतर्गत धारा-528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 8119/2026 सैय्यद मोहम्मद अनवर बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया था, जो वर्तमान समय में विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमें में माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के पूर्व, शपथकर्ता द्वारा पूर्व में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-4614 वर्ष 2025, सैय्यद मोहम्मद अनवर बनाम उ०प्र०राज्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था, जो सुनवाई हेतु माननीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 22, कानपुर नगर के समक्ष स्थानान्तरित की गयी थी, तत्पश्चात माननीय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 22 द्वारा शपथकर्ता का उपरोक्त प्रार्थनापत्र गुणदोष के आधार पर दिनांक 14.01.2026 को निरस्त कर दिया गया था। आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात, शपथकर्ता द्वारा उक्त आरोपपत्र को निरस्त कराये जाने हेतु याचिका माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है, जो वर्तमान समय में विचाराधीन है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत होने के पश्चात भी दिनांक 06.06.2026 को शपथकर्ता के विरूद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जा चुका है, जिससे शपथकर्ता को आशंका है कि थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर की पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा सकता है, जिस कारण प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पुनः प्रेषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। वादी मुकदमा द्वारा अपराध की तिथि 14.08.2018 से प्रारम्भ होकर दिनांक 04.09.2022 तक उल्लिखित किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तीन वर्ष पश्चात अर्थात दिनांक 10.07.2025 को अति विलम्ब से थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर के समक्ष अंकित करायी गयी है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराते समय अथवा विवेचना के दौरान प्रदान नहीं किया गया है, जबकि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते समय मात्र इतना कथन किया गया है कि सिविल वाद संख्या 520 सन 2023, दिनांकित 04.02.2025 को निरस्त किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जा रही है, जिससे स्वयं स्पष्ट है

कि वादी मुकदमा व शपथकर्ता के मध्य पूर्व से सिविल कार्यवाही प्रचलित है और जब वादी मुकदमा द्वारा सिविल कार्यवाही से प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित वाहनों का कब्जा नहीं प्राप्त किया गया, तो मात्र सिविल कार्यवाही को फौजदारी रंग देते हुए, प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी। वास्तविकता में वादी मुकदमा की कम्पनी, एरोस्विफ्टमेल के साथ, सह-उद्यम करार दिनांक 14.08.2018 को प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्त मो० शाहिद के साथ निष्पादित हुआ था, जो दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी था और उक्त सह-उद्यम करार के अनुसार, दोनों पक्षों के मध्य यह भी तय पाया गया था कि सह-उद्यम से प्राप्त लाभ स्वरूप कम से कम वादी मुकदमा की कम्पनी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्त मो० शाहिद को मुबलिग 3,00,000/-रूपये प्रतिमाह (टी.डी.एस. काटकर) बराबर-बराबर हिस्सों में अदा किया जावेगा और यह भी तय पाया गया था कि सह-उद्यम करार के अन्तर्गत, जो भी लाभ प्राप्त होता है, तो लाभांश में शपथकर्ता व सह अभियुक्त को धनराशि प्रदान की जावेगी। इसी के साथ यह भी तय पाया गया था कि वादी मुकदमा की कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हेतु व उनके निजी उपयोग हेतु दो कारें शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मो० शाहिद अनवर को प्रदान की जावेंगी। उपरोक्त सह-उद्यम करार के अनुक्रम में दिनांक 12.07.2018 को कार संख्या यू.पी.78-एफ.जे.0413 शपथकर्ता को प्रदान की गयीं, उपरोक्त कार, कार विक्रेता कम्पनी द्वारा शपथकर्ता को प्रदान की गयी थी तथा सुपुर्दगी रसीद पर शपथकर्ता के ही हस्ताक्षर अंकित हैं, साथ ही साथ कार विक्रेता कम्पनी द्वारा जारी की गयी टैक्स इनवाइस में भी शपथकर्ता का नाम भली-भाँति अंकित है। कानपुर नगर आर.टी.ओ. द्वारा दिनांक 26.07.2018 को कार संख्या यू.पी.78-एफ.जे.0413 के सम्बन्ध में जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में भी निवास के कालम में शपथकर्ता का नाम उल्लिखित किया गया है। दिनांक 13.12.2018 को वादी मुकदमा की कम्पनी के वाइस प्रेसीडेंट श्री हेमन्त सिंह द्वारा उपरोक्त कारों के सम्बन्ध में पत्र जारी करते हुए, उपरोक्त कारों के स्वामित्व के सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्ट किया गया था कि जो कारें प्रार्थी/अभियुक्त को सह उद्यम करार के अन्तर्गत प्रदान की गयीं है, वह शपथकर्ता के CIBIL ISSUE होने के कारण, कम्पनी के नाम पर क्रय की गयी हैं, किन्तु उपरोक्त कारों के सम्बन्ध में दी जा रही ई.एम.आई. को शपथकर्ता व सह-अभियुक्त को दी जा रही लाभ धनराशि में से समायोजित कर लिया जावेगा और जब सम्पूर्ण ई.एम.आई. सम्बन्धित बैंक को अदा कर दी जायेगी, तो उपरोक्त कारों का स्वामित्व वादी मुकदमा की कम्पनी द्वारा शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मो० शाहिद के नाम अन्तरण कर दिया जावेगा, किन्तु अन्तरण में देय धनराशि का भुगतान शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मो० शाहिद द्वारा किया जावेगा। तीन वर्ष पश्चात दोनों पक्षों के मध्य उपरोक्त करार में सिविल प्रकृति का विवाद हो जाने के कारण, शपथकर्ता द्वारा विधिक अधिकारों के अन्तर्गत अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दिनांक 04.09.2022 को विधिक नोटिस जारी करते हुए, वादी मुकदमा की कम्पनी पर देय लाभ धनराशि मुबलिग 89,59,563/-रूपये की मांग की गयी, जिसका उत्तर वादी कम्पनी के निदेशक द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय श्री जे.ए.सतीश कुमार द्वारा दिनांक 02.03.2023 को देते हुए, शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मोहम्मद शाहिद से मुबलिग 4,89,68,197.04/-रूपये की मांग की गयी, साथ ही उक्त उत्तर नोटिस की धारा 17 में शपथकर्ता पर उपरोक्त कार को देने का कथन किया गया। वादी मुकदमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधियों/निदेशकों द्वारा जबरन उपरोक्त कारों को शपथकर्ता के कब्जे से ले जाने की धमकी दी गयी थी, जिससे व्यथित होकर शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मो० शाहिद द्वारा अपने अधिकारों की उद्घोषणा व उपरोक्त कारों को जबरन न ले जाने हेतु, सिविल वाद, माननीय सिविल जज (वरिष्ठ वर्ग), कानपुर नगर के समक्ष प्रेषित किया, जो दर्ज होने के पश्चात, मूलवाद संख्या 520/2023, एरोस्विफ्ट कम्युनिकेशन्स प्रा०लि० बनाम स्विफ्टमेल कम्युनिकेशन लि० के रूप में संस्थित हुआ तथा सुनवाई हेतु प्रथम अपर सिविल जज, वरिष्ठ वर्ग, कानपुर नगर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त वाद का सम्मन प्राप्त होने के पश्चात, वादी मुकदमा की कम्पनी उपरोक्त वाद में उपस्थित हुई और साथ ही साथ दिनांक 03.04.2024 को प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया। कालान्तर में उपरोक्त वाद की सुनवाई किये जाने हेतु, उपरोक्त वाद अपर सिविल जज, वरिष्ठ वर्ग, कोर्ट संख्या-6 के समक्ष स्थानान्तरित हुआ तथा सुनवाई हेतु माननीय विचारण न्यायालय द्वारा तिथियां नियत की गयी। दिनांक-20.03.2023 को वादी मुकदमा की कम्पनी द्वारा, शपथकर्ता की कम्पनी मेसर्स एरोस्विफ्ट कम्युनिकेशन्स प्रा०लि० को नोटिस जारी करते हुए, सह-उद्यम कराकर दिनांकित 15.08.2018 में प्रदत्त पंचाट प्रक्रिया का प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया था। साथ ही साथ उपरोक्त नोटिस में यह भी अभिकथित किया गया था कि शपथकर्ता की फर्म को श्री जी. जनेशन (सेवानिवृत्त जिला जज) चेन्नई के मध्यस्थ नियुक्ति हेतु सहमति मांगी गयी

थी, जिसका विरोध करते हुए शपथकर्ता द्वारा दिनांक 13.04.2023 को उत्तर नोटिस प्रेषित की गयी और यह उत्तर दिया गया कि वादी मुकदमा की कम्पनी द्वारा अपनी विधिक नोटिस दिनांकित 02.03.2023 में सह-उद्यम करार में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के विपरीत जाते हुए, दावों को समाहित कर लिया गया, जिनका कोई भी सम्बन्ध सह-उद्यम करार में नहीं था, इस कारण शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त मध्यस्थता हेतु सहमति प्रदान नहीं की जा सकती है। दिनांक 05.11.2024 द्वारा पुनः वादी मुकदमा की कम्पनी द्वारा नोटिस प्रेषित कर मुबलिग 5,27,77,060.95 रूपये व उपरोक्त कारों को लौटाने हेतु निर्देशित किया था और साथ ही यह भी अभिकथन किया गया था कि यदि शपथकर्ता की फर्म पंचाट प्रकिया में प्रतिभाग नहीं करती है, तो वादी मुकदमा की कम्पनी, सह-उद्यम करार दिनांकित 15.08.2018 में उल्लिखित उपबन्ध 37 का प्रयोग करते हुए, पंचाट प्रकिया में मध्यस्थ नियुक्ति हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई के समक्ष उचित प्रक्रिया अमल में लावेगा, जिसका भी समुचित उत्तर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-26.11.2024 को प्रेषित किया गया। दिनांक 27.11.2024 को शपथकर्ता के अधिवक्ता परिवार सहित वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, अपने गृह स्थान चले गये थे, जिस कारण नियत तिथि दिनांक 27.11.2024 के उपरान्त अग्रिम तिथि, विचारण न्यायालय से संकलित नहीं की जा सकी थी और वाद संख्या 520 सन 2023, अदम पैरवी में दिनांक 04.02.2025 को प्रार्थी/वादी की अनुपस्थिति में तथा प्रतिवादी की उपस्थिति में, आदेश 9 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया था, जिसका पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र दिनांक 28.02.2025 को प्रस्तुत करते हुए, उपरोक्त आदेश को अपास्त किये जाने की याचना, विचारण न्यायालय के समक्ष की गयी, जिसे स्वीकार करते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-15.09.2025 के माध्यम से वाद को पुनर्स्थापित करते हुए, मूल नंबर पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान समय भी विचाराधीन है तथा अग्रिम तिथि दिनांक-04.08.2026 नियत है, जिसमें वादी मुकदमा अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से लगातार उपस्थित आ रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के पश्चात, दौरान विवेचना थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा शपथकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा दौरान विवेचना शपथकर्ता द्वारा अन्वेषण की कार्यवाही में पूर्णरूप से सहयोग प्रदान किया गया था तथा दौरान अन्वेषण ही विवेचक महोदय के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित वाहन की भी सुपुर्दगी प्रदान कर दी गयी थी। शपथकर्ता द्वारा पूर्व में जो अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, वह आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के पूर्व प्रेषित किया गया था तथा दौरान विवेचना शपथकर्ता को विवेचक महोदय द्वारा न तो पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और न ही ऐसी कोई नोटिस अथवा समन ही प्रेषित किया गया था। वास्तविकता में शपथकर्ता द्वारा दौरान विवेचना, विवेचना में पूर्णरूप से सहयोग प्रदान किया गया है और यदि अब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास होगा। वादी मुकदमा व शपथकर्ता के मध्य पूर्ण रूप से सिविल प्रकृति का विवाद विगत तीन वर्षों से चला आ रहा है। शपथकर्ता द्वारा कभी भी उपरोक्त कारों को दुराशय से प्रेरित होकर गबन नहीं किया गया है, जबकि उपरोक्त कारें सह-उद्यम करारके अन्तर्गत शपथकर्ता को प्रदान की गयीं थीं। साथ ही साथ दिनांक 14.12.2018 को जारी पत्र में भी उपरोक्त कारों का स्वामित्व शपथकर्ता व सहअभियुक्त मोहम्मद शाहिद के पक्ष में किये जाने का वचन दिया गया था, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के विरूद्ध जाते हुए पंजीकृत करायी गयी है, जबकि प्रकरण पूर्णतया सिविल प्रकृति का है और सिविल प्रकृति के मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी का रंग देने हेतु निषेधित किया है, फिर भी माननीय विचारण न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये, बिना शपथकर्ता व सह-अभियुक्त मो० शाहिद के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए, विचारण हेतु तलब कर लिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर शपथकर्ता द्वारा आरोपपत्र व प्रसंज्ञान के निरस्तीकरण हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो सुनवाई हेतु लम्बित है और उपरोक्त याचिका में वादी मुकदमा द्वारा अधिवक्ता हाजिर आ चुका है, किन्तु माननीय विचारण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत होने के पश्चात भी, शपथकर्ता के विरूद्ध दिनांक 06.06.2026 को गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत कर दिया गया है, जिससे शपथकर्ता को पूर्ण आशंका है कि थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा किसी भी दिन शपथकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में शपथकर्ता का प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नवीन तथ्यों पर स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी/शपथकर्ता का कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं है।

प्रार्थी/शपथकर्ता पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा कथित अपराध घटित नहीं किया गया है और न ही किसी भी प्रकार का छल ही वादी मुकदमा के साथ किया गया है और न ही किसी प्रकार का न्यास भंग ही किया गया है। शपथकर्ता कानून पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति है तथा उसकी समाज में एक साख है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में शपथकर्ता को यदि थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा कारागार में निरूद्ध कर दिया जाता है, तो उसकी सामाजिक साख भी धूमिल होगी, ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी/शपथकर्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत मुकदमे में विवेचना समाप्त हो चुकी है और आरोपपत्र भी माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है, जिससे यह आशंका स्वयं समाप्त हो गयी है कि शपथकर्ता विवेचना में सहयोग नहीं करेगा और न किसी साक्ष्य से छेडछाड़ ही करेगा या साक्षियों को प्रभावित ही करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा शपथकर्ता को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो शपथकर्ता सदैव विचारण में सहयोग करेगा और यदि माननीय न्यायालय जो भी उचित शर्तें अधिरोपित करते हैं, तो उसे भी शपथकर्ता अक्षरशः पालन करेगा। न्यायहित में शपथकर्ता को उपरोक्त मुकदमें के विचारण तक अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा की जावे। साथ ही साथ माननीय न्यायालय द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी/थाना को निर्देशित किया जावे कि यदि थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाता है, तो उसे माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानतें दाखिल किये जाने के पश्चात् रिहा किए जावे।

4. उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के विरूद्ध वादी मुकदमा की तरफ से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र की धारा-6 असत्य है। सत्यता यह है कि दो कारे कम्पनी के व्यापार विस्तार हेतु एच०डी०एफ०सी० बैंक से वित्तपोषित कराकर अभियुक्त को उपयोग हेतु दी गयी थीं तथा उनकी समस्त किस्तें वादी कम्पनी द्वारा अदा की जाती रहीं। इसी सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा दायर दीवानी वाद दिनांक 04.02.2025 को खारिज हुआ, तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। प्रार्थनापत्र की धारा-9 एवं धारा 10 असत्य हैं। प्रश्नगत वाहन यू0 पी0 78 एफ 0 जे0 0413 पंजीयन प्रमाणपत्र में मात्र "अंडर कन्ट्रोल" सैयद मोहम्मद अनवर के रूप में अंकित है, निवास कालम में अंकित पते का किराया भी वादी कम्पनी द्वारा अदा किया जाता रहा है। (उल्लेखनीय है कि प्रार्थनापत्र में यत्र-तत्र "UP78FZ0413" अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है; प्रश्नगत वाहन UP78FJ0413 है।)। प्रार्थनापत्र की धारा-16 में स्वयं अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसकी फर्म को श्री जी० जनेशन (सेवानिवृत जिला जज), चेन्नई की मध्यस्थता हेतु सहमति माँगी गयी थी तथा अभियुक्त द्वारा मध्यस्थता हेतु सहमति प्रदान नहीं की गयी- जो अभियुक्त के असहयोगात्मक आचरण को दर्शाता है। प्रार्थनापत्र की धारा-19 एवं धारा-22 असत्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल वाद की शीघ्र सुनवाई के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है, न कि आपराधिक अभियोग के सम्बन्ध में। दबिश दिये जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा न तो समय, तिथि, स्थान और न ही किसी अधिकारी का नाम अंकित किया गया है- समस्त कथन मनगढ़न्त हैं तथा मात्र अग्रिम जमानत का आधार बनाने हेतु लिखे गये हैं। अतिरिक्त कथन के रूप में कथन किया गया है कि प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने की तिथि 14.01.2026 से प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थनापत्र के मध्य की अवधि में, अभियुक्त के पक्ष में एक भी नवीन तथ्य या अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, इसके विपरीत, इस अवधि में विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया (दिनांक 23.01.2026) तथा अभियुक्त की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण गैरजमानती अधिपत्र निर्गत हुआ (दिनांक 06.06.2026)। अर्थात परिस्थितियाँ अभियुक्त के विरुद्ध और अधिक गम्भीर हुई हैं, अनुकूल नहीं। ऐसी स्थिति में द्वितीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है। अभियुक्त का आचरण प्रारम्भ से ही न्यायालय को भ्रमित करने वाला रहा है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्त को दौरान विवेचना ही धारा 409 भा०द०सं० लगाये जाने की पूर्ण जानकारी थी, जिसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.11.2025 से होती है, फिर भी अभियुक्त द्वारा चतुराईपूर्वक प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल धारा 420/406 भा०द०सं० (जिनमें दण्ड सात वर्ष से कम है) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। ऐसे अशुद्ध हाथों (unclean hands) से न्यायालय के समक्ष आने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत जैसे विवेकाधीन एवं असाधारण अनुतोष का अधिकारी नहीं है। गैरजमानती अधिपत्र दिनांकित 06.06.2026 आज भी प्रभावी है तथा प्रार्थी द्वारा उसके निरस्तीकरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की प्रक्रिया प्रभावी रहते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान करना उस प्रक्रिया को

निष्फल (frustrate) करने के तुल्य होगा। अभियुक्त के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अधिपत्र निरस्तीकरण का सुलभ, प्रभावी एवं समुचित उपचार उपलब्ध है, जिसका जानबूझकर उपयोग न करना स्वयं अभियुक्त की न्यायिक प्रक्रिया से बचने की मंशा को प्रकट करता है। प्रश्नगत दोनों वाहन आज तिथि तक वादी कम्पनी को वापस नहीं किये गये हैं तथा अभियुक्त एवं सहअभियुक्त के अवैध कब्जे में निरन्तर बने हुए हैं, जिससे वादी कम्पनी को निरन्तर आर्थिक क्षति कारित हो रही है। न्यस्त सम्पति का इतनी दीर्घ अवधि तक निरन्तर प्रतिधारण (wrongful retention) स्वयं अभियुक्त के बेईमान आशय की पुष्टि करता है तथा यह भी दर्शाता है कि अभियुक्त को विधि एवं न्यायालयीन प्रक्रिया का कोई भय नहीं है। अभियुक्त द्वारा वाहनों का न्यास (entrustment) एवं उन पर अपना कब्जा स्वयं स्वीकार किया गया है। विवाद केवल स्वामित्व के उसके मिथ्या एवं भविष्यगत दावे तक सीमित है। स्वीकृत न्यास तथा बार-बार माँग के उपरान्त भी लौटाने से इन्कार इन दोनों तत्वों से धारा 409 भा०द०सं० का अपराध प्रथम दृष्टया पूर्णतः गठित होता है। ऐसी अवस्था में गुणदोष के आधार पर भी अभियुक्त अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है। यह सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि आर्थिक अपराध एक भिन्न वर्ग (class apart) के होते हैं, जो सोची-समझी योजना एवं बेईमान अभिकल्पना के परिणाम होते हैं तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुँचाते हैं, अतः जमानत के प्रश्न पर उनके प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण करोड़ों रुपये की धनराशि एवं कम्पनी की सम्पत्ति के गबन से सम्बन्धित होने के कारण इसी वर्ग में आता है। अभियुक्त एक साथ अनेक समानान्तर उपचारों का सहारा ले रहा है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र निरस्तीकरण याचिका, पुनर्स्थापित सिविल वाद, तथा एक के बाद एक अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र जो अभियुक्त की मंशा को स्पष्ट करता है कि वह किसी भी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से बचना चाहता है। किसी भी न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का संक्षिप्त निष्कर्ष यह है कि (क) प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बिना किसी सारवान परिवर्तन के प्रस्तुत किया गया है, अतः पोषणीय नहीं है; (ख) आरोपपत्र, संज्ञान एवं गैरजमानती अधिपत्र के पश्चात अग्रिम जमानत की अवस्था ही समाप्त हो चुकी है, (ग) कारित अपराध करोड़ों रुपये के गबन से सम्बन्धित गम्भीर आर्थिक अपराध है, (घ) अभियुक्त का सम्पूर्ण आचरण - न्यायालय से तथ्य छिपाना, समन के बावजूद उपस्थित न होना, न्यस्त सम्पति को आज तक वापस न करना - न्यायिक प्रक्रिया से बचने वाला रहा है तथा (ङ) अभियुक्त का एकमात्र समुचित उपचार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित/आत्मसमर्पण होकर विधिक प्रक्रिया अपनाना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आधारों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद अनवर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करें।

5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का अभिकर्ता होते हुए, वादी मुकदमा के स्वामित्व वाली प्रदत्त कारों के परिप्रेक्ष्य में आपराधिक न्यासभंग/गबन करते हुए, वादी मुकदमा की कंपनी के करोड़ों रूपये का गबन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा प्रकरण से संबंधित तलबशुदा मूल पत्रावली एवं केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. विधि-व्यवस्था **पी० चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0-1340/2019** के प्रस्तर-60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि, विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इसी विधि-व्यवस्था के प्रस्तर-67 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, धारा-438 दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल आपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधरण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

धारा-438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त, अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधिव्यवस्थाः **मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शुक्ला (2014) 2 एस०सी०सी० 171** के मामले में यह विनिश्चित किया गया है कि धारा-438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग की प्रकृति असाधारण है, इसे मात्र आपवादिक स्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए-

(1) जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, अथवा

(2) जहां यह धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त को अन्यथा अपने स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र/केस डायरी के पर्चों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद अनवर पर, वादी मुकदमा का अभिकर्ता होते हुए, वादी मुकदमा की कंपनी के स्वामित्व वाली प्रदत्त की हुई कारों को विधि विरूद्ध तरीके से अपने कब्जे में रखते हुए एवं उसे वादी मुकदमा की कंपनी को वापस करने से इंकार करते हुए, आपराधिक न्यासभंग/गबन करने का, आरोप अधिरोपित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित आरोपों की पुष्टि, संबंधित थाना पुलिस द्वारा की गयी विवेचना के दौरान लिये गये, गवाहों के बयानात अंतर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० एवं अन्य अभियोजन प्रपत्र से होना पाते हुए, संबंधित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त व सहअभियुक्त के विरूद्ध धारा-409 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोपपत्र संख्या-121/2025, दिनांकित-09.12.2025 को तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक-23.01.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर कारित किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर कारित अपराध, बेइमानीपूर्वक वित्तीय/आर्थिक गबन से संबंधित एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात, ऐसे किसी सारवान नये तथ्य के प्रकाश में आने संबंधी तथ्य को, बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया जा सका है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा, अभियुक्त पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई भी युक्तियुक्त एवं न्यायोचित आधार पाया जा सके। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को क्षति पहुंचाने अथवा अपमानित करने के उद्देश्य से उपरोक्त आरोप लगाये गये हो। जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी के समय उठाये गये अन्य तर्कों/अभिकथनों का प्रश्न है, तो उन तर्कों/अभिकथनों का सम्यक निराकरण, विचारण के स्तर पर ही (न कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर) साक्ष्य आने के उपरांत ही, युक्तियुक्त एवं विधिक रूप से किया जा सकता है। अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय की राय में आधार द्वितीय अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं पाया जाता है। अतः द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद अनवर का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(रघुबर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-22,
कानपुर नगर।
ID No.UP1690

31.07.2026

Digitally signed by RAGHUBAR SINGH
Date: 2026.08.01 15:50:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court